इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 456] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 नवम्बर 2015—कार्तिक 26, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2015

क्र. बी-11-03-2015-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र क्रमांक-बी-11-03-2015-चौदह-2, एवं भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-04-2004-क्रेडिट **II**, दिनांक 20 मार्च 2015 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मौसम रबी 2015-16 के लिये संलग्न सूची के अनुसार तहसील स्तर पर उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 मौसम रवी हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र.) तहसीलें

पूर्वानुमान वर्ष 2013-14 **फसल-अलसी**

स. क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)		क्षेत्रफल (हे. में.) (4)
1	डिण्डोरी	1	शाहपुरा	1053
		2	डिण्डोरी	2108
		3	बजांग	1532
2	बालाघाट	4	लांजी	2181
		5	खैरलांजी	1273
		6	बारासिवनी	2991
		7	कटंगी	1244
		8	किरनापुर	1724
		9	लालबर्रा	2397

(1)	(2)	(3)	(4)
		10 बालाघाट	1546
3	सिवनी	11 सिवनी	829
		12 केवलारी	786
		13 बरघाट	3462
		14 घन्सोर	713
4	कटनी	15 बडवारा	515
5	मण्डला	16 नैनपुर	1060
		17 बिछिया	2090
		18 निवास	674
		19 घुघरी	1173
6	उमरिया	20 बांधवगढ़	850
		21 नरौजाबाद	875
7	रीवा	22 जवा	924
		23 महूगंज	1093
		24 हनुमना	3756
		25 त्योंथर	1156
		26 सिरमौर	1175
		27 नईगढ़ी	794
		28 सेमरिया	520
8	सतना	29 रामनगर	669
9	शहडोल	30 सुहागपुर	1432
		31 ब्योहारी	595
		32 जैतपुर	1187
		33 जयसिंहनगर	797
		34 गोहपारू	827
10	अनूपपुर	35 पुष्पराजगढ़	2830
		36 अनूपपुर	755
11	सीधी	37 गोपदवनास	1159
		38 बैहरी	729
		39 मझोली	1079
		40 रामपुर नौकिन	1099
12	सिंगरोली	41 देवसर	853
		42 चितरंगी	2425
		43 सिंगरोली	769
		44 सरई	1473
		45 माड़ा	893
13	छतरपुर	46 लवकुशनगर	1062
		47 गोरीहार	4383
14	रतलाम	48 पिपलोंदा	1446
15	मन्दसौर	49 बालोदा	3358
		50 मन्दसौर	574
		51 सीतामउ	1281

1. यह योजना भारत सरकार के पत्र क्र. 13011-04-2004-Credit II दिनांक 20-03-2015 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के अधिसूचित जिलों की अधिसूचित तहसीलों/पटवारी हल्कों में अधिसूचित फसलों के लिए कार्यान्वित की जावेगी.

2. यह योजना अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों हेतु ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य एवं अऋणी कृषकों के लिए ऐच्छिक है.

3. योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों (जिनकी जोत 2 हेक्टेयर या उससे कम हो) को देय प्रीमियम पर 10 प्रतिशत का अनुदान दिया जावेगा, जिसे केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जावेगा, अर्थात् कृषक को 90 % ही प्रीमियम देय है. यह अनुदान ऋणी तथा अऋणी दोनों श्रेणीयों के लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए लागू है.

4. रबी का मौसम 1 अक्टूबर, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक है, इसके मध्य अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिये वितरित फसलवार ऋण राशि का 100 प्रतिशत बीमा होना अनिवार्य है. इस मौसम के अन्तर्गत बीमा करने की अंतिम तिथियाँ निम्नानुसार है:—

ऋणी कृषक	1 अक्टूबर से 2015 से 31 मार्च, 2016 तक
अऋणी कृषक	31 दिसम्बर, 2015 अथवा फसल की बुआई तिथि से एक माह तक, जो भी पहले हो.

ऋणी कृषकों के लिये उपरोक्त अवधि में लिये गये सम्पूर्ण फसल ऋण का बीमा होना अनिवार्य है एवं जो कृषक लिए गए ऋण राशि से अधिक की राशि का बीमा कराने का विकल्प लेते हैं उन्हें घोषणापत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि आदि उसी प्रकार लागू होगी जैसे अऋणी कृषकों के लिए है. ऋण राशि एवं थ्रेशोल्ड उपज से अधिक किन्तु औसत पैदावार के 150 %मूल्य तक के बीमा आवरण के लिए वास्तविक प्रीमियम दर लागू होगी.

5. योजना के अन्तर्गत एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी द्वारा बैंकों से घोषणापत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथियाँ निम्नानुसार है:—

ऋणी कृषक	एआईसी द्वारा बैंकों से घोषणापत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2016 है.
अऋणी कृषक	बैंक द्वारा कृषक से प्रस्ताव पत्रक प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2015 अथवा फसल की बुआई तिथि से एक माह तक, जो भी पहले हो, है. एआईसी द्वारा बैंकों से घोषणापत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2016 है.

जो कृषक लिए गए ऋण राशि से अधिक की राशि का बीमा कराने का विकल्प लेते हैं उन्हें ऋण राशि से अधिक की राशि का बीमा कराने की समयावधि तथा घोषणापत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि आदि अऋणी कृषकों की तरह रहेगी.

6. योजना ''क्षेत्र दृष्टिकोण'' के आधार पर लागू हैं. क्षतिपूर्ति का आंकलन राज्य शासन द्वारा सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (General Crop Estimation Survey) के अन्तर्गत प्रत्येक मौसम में बीमा इकाई क्षेत्रवार एवं फसलवार कराए गए रेण्डम पद्धति से निर्धारित फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित होगा. इस हेतु राज्य शासन द्वारा एआईसी को वास्तविक उपज के आंकड़ें प्रस्तुत करते समय (सींगल सीरीज का) प्रमाणपत्र दिया जावेगा. अतः यदि बीमा इकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसल की वास्तविक उपज निर्धारित थ्रेशोल्ड उपज/गैरंटीड उपज (Threshold Yield/Guaranteed Yield) से कम आती है तो उस क्षेत्र/फसल में कृषक को क्षति का सामना करता हुआ माना जावेगा एवं योजना प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जावेगा.

इसके अलावा, अन्य किसी भी कारणों से जैसे आनावारी की घोषणा, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदा की घोषणा इत्यादि के आधार पर योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी.

7. **क. ऋणी कृषकों के लिए बीमित राशि.**—ऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि, वितरित ऋण राशि होगी और उस पर सदैव निर्धारित (नीचे वर्णित) निश्चित प्रीमियम दरें एवं उद्यानिकी एवं वाणिज्यिक फसलों पर वास्तविक प्रीमियम दरें ही लागू होंगी.

ऋणी कृषकों के लिए फसलवार बीमित राशि की सीमायें व प्रीमियम दरों की तालिका

TABLE OF SUM INSURED LIMITS AND PREMIUM RATES AT ELIGIBLE LEVEL OF INDEMNITY FOR LOANEE FARMERS

फसलवार बीमित राशि की सीमायें एवं प्रीमियम की दरें

DETAILS OF CROPWISE SUM INSURED LIMITS AND PREMIUM RATES

अधिसूचित फसलें Notified Crops	क्षतिपूर्ति स्तर Eligible Level of Indemnity	प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की अधिकतम सीमा (रु.) Maximum Sum Insured per Hectare (Rs.)		सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150 % के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond the value of Threshold Yield and upto the value of 150% of Average Yield)	
		पार्ट "अ" बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	PART "A" निश्चित प्रीमियम दरें Normal Premium Rates %	पार्ट "ब" बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	PART "B" निश्चित प्रीमियम दरें Normal Premium Rates %	पार्ट "स" बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	PART "C" वास्तविक प्रीमियम दरें Actuarial Premium Rates %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
गेहूं असिंचित	60 %	ऋणी कृषकों	1.50 %	13730	1.50 %	20600	7.70 %
गेहूं सिंचित	60 %	के लिये बीमित	1.50 %	25250	1.50 %	37870	7.50 %
चना	60 %	राशि, फसलवार	2.00 %	18920	2.00 %	28380	5.00 %
अलसी	60 %	वितरित ऋण	2.00 %	9100	2.00 %	13640	3.50 %
राई-सरसों	80 %	राशि होगी	2.00 %	27790	2.00 %	24310	9.20 %

टीप:—जो ऋणी कृषक, वितरित ऋण से अधिक राशि का बीमा करवाने के इच्छुक हों, जैसे पार्ट-"B" एवं पार्ट "C" में तो उनके लिए अऋणी कृषकों की समस्त शर्तें एवं नियम लागू होंगे.

7. **ख. अऋणी कृषकों के लिए बीमित राशि**

अऋणी कृषकों के लिए फसलवार बीमित राशि की सीमायें व प्रीमियम दरों की तालिका

TABLE OF SUM INSURED LIMITS AND PREMIUM RATES AT ELIGIBLE LEVEL OF INDEMNITY FOR NON-LOANEE FARMERS

अधिसूचित फसलें Notified Crops	क्षतिपूर्ति स्तर Eligible Level of Indemnity	सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य तक) Normal Coverage per Hectare (upto value of Threshold Yield)		अतिरिक्त आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशोल्ड उपज के मूल्य से अधिक लेकिन औसत उपज के 150% के मूल्य तक) Additional Coverage per Hectare (beyond the value of Threshold Yield and upto the value of 150% of Average Yield)		प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की अधिकतम सीमा (रुपये) Maximum Sum Insured Per Hectare (Rs.)
		बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	निश्चित प्रीमियम दरें Normal Premium Rates %	बीमित राशि (रु.) Sum Insured (Rs.)	वास्तविक प्रीमियम दरें Actuarial Premium Rates %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गेहूं असिंचित	60%	13730	1.50%	20600	7.70%	34330

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गेहूं सिंचित	60%	25250	1.50%	37870	7.50%	63120
चना	60%	18920	2.00%	28380	5.00%	47300
अलसी	60%	9100	2.00%	13640	3.50%	22740
राई-सरसों	80%	27790	2.00%	24310	9.20%	52100

टीप:—योजना के अन्तर्गत रबी 2015-16 मौसम में जोखिम स्तर, प्रीमियम दरें एवं बीमित राशि की सीमा उपरोक्तानुसार होगी जो कि अऋणी कृषक अथवा उन ऋणी कृषकों के लिये लागू रहेगी जो ऋण राशि से अधिक, अतिरिक्त बीमा आवरण चाहते हैं.

8. ऋणी कृषकों के लिये प्रीमियम राशि अतिरिक्त ऋण के तौर पर स्वीकृत की जानी चाहिए, जो कि बीमित राशि से अतिरिक्त होगी.

9. मौसम के दौरान कृषक को वास्तविक तौर पर ऋण वितरण किया जाना चाहिए ना कि कृषक द्वारा पूर्व में लिया गया ऋण, जो कि चुकता नहीं किया गया हो, उसका बुक समायोजन नहीं किया जाना चाहिए.

10. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारा रबी एवं खरीफ मौसम की एकसाथ ऋण सीमा स्वीकृत की जाती है एवं किसान कभी-कभी एक साथ ही समस्त ऋण लेते हैं और बैंक पूरे ऋण का एकसाथ ही बीमा कर देते हैं. जबकि फसल बीमा योजनानुसार खरीफ मौसम हेतु स्वीकृत एवं वितरित ऋण राशि का बीमा खरीफ मौसम में एवं रबी मौसम हेतु स्वीकृत एवं वितरित ऋण सीमा का रबी मौसम में बीमा किया जाना चाहिए, चाहे किसान के दोनों मौसमों का एकसाथ ऋण लिया हो.

11. राज्य में बीमा की इकाई पटवारी हल्का/तहसील है. पटवारी हल्का के लिये न्यूनतम 4 फसल कटाई प्रयोग एवं तहसील स्तर पर न्यूनतम 16 फसल कटाई प्रयोग राज्य शासन द्वारा कराना आवश्यक है.

11.1 योजना के अन्तर्गत आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त कार्यालय, ग्वालियर एवं समस्त जिलों के अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी को वास्तविक उपज के आंकड़े प्रेषित/वेबसाईट में अपलोड करने की अंतिम तिथियाँ निम्नानुसार है :—

फसलें (1)	वास्तविक उपज के आंकड़ों के प्रेषण की अन्तिम तिथियाँ (2)
गेहूँ असिंचित	31 जुलाई, 2016
गेहूँ सिंचित	-''-
चना	-''-
अलसी	-''-
राई-सरसों	-''-

11.2 राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के निर्णयानुसार पटवारी हल्का/तहसील स्तर पर अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु वास्तविक उपज के आंकडें एवं बोया गया रकबा शासन द्वारा National Informatics Centre (NIC) की साईट पर अपलोड किए जाएंगे एवं वही मान्य होंगे. एआईसी द्वारा ऊपर वर्णित फसलवार अंतिम दिनांक को कार्यालयीन समय उपरांत आंकड़ें उक्त साईट से डाउनलोड किए जाएंगे एवं वे ही क्षतिपूर्ति आंकलन के लिये अंतिम एवं पूर्ण अधिकृत माने जावेंगे.

11.3 औसत पैदावार के आंकड़ों के साथ अधिसूचित क्षेत्रों (तहसील/पटवारी हल्का) में फसलवार बोये गये क्षेत्रफल की जानकारी औसत पैदावार के आंकड़ों के साथ ही निर्धारित अंतिम तिथियों तक प्रदान करना अनिवार्य होगा.

12. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुसार ''योजना के तहत् यदि नोडल बैंक/शाखा/पी.ए.सी.एस. की गलतियों/विलोपनों/कमीशन के कारण किसान फसल बीमा के लाभ से वंचित रहता है, तो संबंधित वित्तीय संस्थाएं ही ऐसी हानियों की भरपाई करेंगी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.